INDIAN INDUSTRIES ASSOCIATION
AN APEX BODY OF MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES
(IN THE SERVICE OF MSME SINCE 1985)

सन्दर्भ सं.- 3/Energy/0133 08.04.2020

सेवा में,
आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी
माननीय मुख्यमंत्री
उत्तर प्रदेश

विषय :- कोविड -19 महामारी और लॉक डाउन के कारण उद्योगों में बंदी के कारण बिजली के बिलों में डिमांड / फिक्स्ड शुल्क में आप द्वारा घोषित छूट को लागू न किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय ,

इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (आई आई ए) कोविड -19 महामारी से उत्पन्न स्थिति को काबू में करने के लिए आपके और माननीय प्रधान मंत्री जी के प्रयासों के लिए धन्यवाद देते हुए इन प्रयासों में पूर्ण सहयोग कर रहा है। जिस प्रकार समाज के प्रत्येक अंग जिसमे उद्योग धंधे भी शामिल हैं का आप ध्यान रख रहे हैं वह अत्यंत सराहनीय है।

प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के सम्बन्ध में एक प्रत्यावेदन आई.आई.ए द्वारा आपको 27 मार्च को दिया गया था जिस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए आपने 1 अप्रैल 2020 को सूचना और जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश के माध्यम से आदेश जारी किये हैं कि ***"ऊर्जा विभाग यह सुनिश्चित करे कि लॉक डाउन की अवधी में इंडस्ट्रीज से बिजली का फिक्स्ड चार्ज न लिया जाए"***।

खेद का विषय है की आपके उपरोक्त निर्णय के विपरीत, 2 अप्रैल 2020 को प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड ने अपने आदेश संख्या 216/-----2020 द्वारा विद्युत वितरण निगमों के सभी प्रबंध निदेशकों को निर्देश दिए हैं कि:-

"वाणिज्यक एवं औद्योगिक श्रेणियों के उपभोक्ताओं से माह अप्रैल के बिलों में 2/3 फिक्स चार्ज / डिमांड चार्ज लिया जायेगा। माह मई के बिलों में 1/2 फिक्स चार्ज / डिमांड चार्ज लिया जायेगा। माह अप्रैल और मई के बिलों में स्थागित फिक्स / डिमांड चार्जेज को क्रमशः जून और जुलाई के बिजली बिलों में चार्ज किया जाये।"

प्रबंध निदेशक UPPCL के उपरोक्त आदेश से स्पष्ट है कि यह आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी की उद्योगों को इस कठिन घड़ी में फिक्स / डिमांड चार्जेज की छूट देने की घोषणा के विपरीत है।

महोदय लॉक डाउन के समय एवं उसके काफी पहले 15 मार्च से उत्तर प्रदेश में उद्योगों में औद्योगिक उत्पादन बंद है। 15 मार्च से पूर्व भी होली के त्यौहार के कारण कर्मचारियों के अपने अपने घर छुटी पर जाने से उद्योगों में माह मार्च में केवल 3 व 4 दिन ही कार्य हो पाया था। ऐसे में माह मार्च में उद्योगों में बिजली की खपत लगभग न के बराबर रही है। आज की परिस्थिती में भी लॉक डाउन जल्दी समाप्त होने की संभावना कम लगती है।

उद्योगों में उत्पादन बंद होने से उद्योगों में आमदनी भी बंद हो गई है। फिर भी उन्हें कुछ फिक्स्ड खर्चे जैसे कर्मचारियों का वेतन, बैंकों की मासिक किस्तें और व्याज इत्यादी अनिवार्य रूप से वहन करने पड़ रहे हैं। ***ऐसे में उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म और लघु उद्यमों में धनाभाव भयंकर स्थिति में पहुँच गया है।***

इन परिस्थितियों में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (आई आई ए) का आपसे अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश के उद्योगों को (खास तौर पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को) लॉक डाउन पीरियड में बिजली के बिलों में आप द्वारा घोषित फिक्स /डिमांड चार्जेज से पूर्ण छूट देने हेतु उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन को स्पष्ट निर्देश देने की कृपा करें।

धन्यबाद

पंकज कुमार
प्रेजिडेंट